



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तयई पूवी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीरामबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail: dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 1210 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक 2/9, 2021

सेवा में,

प्रभारी केन्द्रीय औषधीय एवं
सगन्ध पौध संस्थान,
पन्तनगर, नगला
जनपद-ऊधमसिंह नगर।

विषय:- Proposal for renewal of diversion of 115.79 hectare of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 for Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants of Luknow fields station for cultivation of medicinal and aromatic plants under Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8-41/2000-FC (Vol) date: 19 July 2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-510/12-1 दि०-03.08.2021 एवं आपका पत्रांक-सीआरसी/पंत/सा०-3(1)/2013 दि०-06.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जैसाकि भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, आपके स्तर से जिन बिन्दुओं पर सूचना दी जानी है उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. Details of compensatory land made available in lieu of approval granted in the past needs to be provided by the State Government along with KML/Shape files and status of its notification under the IFA, 1927 as applicable, afforestation, etc. needs to be intimated by the State Govt. -इस बिन्दु पर अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।
2. Details of NPV, if any realized from the user agency, in the past needs to be intimated by the State Govt. along with prescribed Performa for confirmation of the CA levied. -इस बिन्दु के क्रम में अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।
3. Comments of the CWLW on the observation of the DFO regarding location of the area in The Shivalik Elephant Reserve. -इस बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
4. Status of compliance of conditions stipulated in the approval dated 15.06.2002 may be intimated by the State Govt. -उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-जी०आई०-485/7-1-2002 -800/2000 दि० 15.06.2006 का बिन्दुवार मलि-मांति अवलोकन कर लिया जाय तथा बिन्दुवार स्पष्ट आख्या तदनुसार प्रेषित किया जाये।
5. Extant proposal is a non-site specific which can be taken up over non-forest land. The State Government also requested to submit its comments on whether alternative options have been explored to shift the facility to non-forest land. -इस बिन्दु के अनुपालन में अपनी विस्तृत आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आख्या उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

6. The State Govt. also to submit the details that in actually how much area is still used for non-forestry purposes. —इस बिन्दु पर भी अपनी आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक:- 1210/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक:- 1210/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- उपप्रभागीय वनाधिकारी, गौला एवं वन क्षेत्राधिकारी, गौला को भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में शिवालिक हाथी रिजर्व के सम्बन्ध में वांछित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आख्या मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को पेषित की जा सके।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।